संख्या-1/2016/2465सी0डी0/46-3-15-58(36)/2003

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 21 जनवरी, 2016

विषयः- निर्देश याचिका संख्या-1399/2002 राधा कृष्ण कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.10.2007 एवं रिट याचिका संख्या-44954/2014 राधा कृष्ण कुशवाहा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 01.07.2015 के अनुपालन में याची को कनिष्ठ की नियमित पदोन्नति की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु गन्ना विकास निरीक्षक के 01 अधिसंख्य पद का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-657/01/पर्य0/स्था0, दिनांक 04.07.2013, संख्या-1715/01/पर्य0/स्था0, दिनांक 06.11.2013 एवं संख्या-2357/01/पर्य0/स्था0, दिनांक 16.09.2015 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2- प्रकरण में सम्यक् परीक्षणोपरांत यह स्थापित हुआ है कि याची श्री राधा कृष्ण कुशवाहा को दिनांक 30.06.2003 को गन्ना विकास निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान की गयी थी, जिस पद पर कार्य करते हुए वह दिनांक 30.09.2011 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.10.2007 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2015 के अनुक्रम में श्री कुशवाहा को, उनसे कनिष्ठ श्री धीरेन्द्र सिंह की गन्ना विकास निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति दिनांक 03.06.2003 को किये जाने के दृष्टिगत, दिनांक 03.06.2003 से गन्ना विकास निरीक्षक के पद पर काल्पनिक (नोशनल) पदोन्नति दिया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2003 में गन्ना विकास निरीक्षक के पद का साधारण वेतनमान रू0 4500- 7000/- था। अतः याची श्री कुशवाहा को मा0 अधिकरण/मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में काल्पनिक पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 03.06.2003 से दिनांक 30.06.2003 तक की अवधि के लिये गन्ना विकास निरीक्षक का 01 अधिसंख्य पद (वेतनमान रू0 4500-7000/-) सृजित किया जाना अपेक्षित है।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में याची श्री राधा कृष्ण कुशवाहा, सेवानिवृत्त गन्ना विकास निरीक्षक को उनसे कनिष्ठ की गन्ना विकास निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से काल्पनिक पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत दिनांक 03.06.2003 से दिनांक 30.06.2003 तक की अवधि के लिये गन्ना विकास निरीक्षक का 01 (एक) अधिसंख्य पद (वेतनमान रू0 4500-7000/-) एतद्द्वारा सृजित किया जाता है। उक्त अधिसंख्य पद याची को काल्पनिक (नोशनल) पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु सृजित किया जा रहा है, इसलिये यह पद गन्ना विकास निरीक्षक संवर्ग हेतु स्वीकृत/सृजित किये गये पदों में अभिवृद्धि नहीं मानी जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-6-19/दस-2016, दिनांक 14 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2016/2465(1)सी0डी0/46-3-15-58(36)/2003, तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।